

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश संख्या:- पेंशन/ए/2023-24/73

दिनांक:- 06.03.24

कार्यालय आदेश

श्री बाबू राम, एम टी एस, पी.यू.सी.डी.ए. 3181180, जन्म तिथि 05.03.1964, कार्यग्रहण तिथि 20.12.1988, दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

हस्ता/-

प्र. उपमहालेखाकार  
(प्रशासन)

सं- पे व प्र./पेंशन लेखा परीक्षा/72-4/B-59/2023-24/712-21

दिनांक:- 06.03.24

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव।
2. प्रवर उपमहालेखाकार के गोपनीय सहायक/आर.टी.आई कक्ष।
3. वेतन व लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पंजाब, चण्डीगढ़।
4. प्रशासन-1 अनुभाग पुष्टि सहायक इवेन्ट सहायक, राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित सहायक, सामान्य कार्यों से सम्बन्धित सहायक।
5. प्रशासन-2 अनुभाग दीर्घकालीन/लघुकालीन से सम्बन्धित अग्रिम राशि का प्रमाण पत्र यथा समय प्रेषित किया जाए।
6. कार्यालय स्थापना I/II, अनुभाग व उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित यदि कोई दीर्घकालीन/लघुकालीन अग्रिम राशि व अन्य कोई बकाया हो तो उसको शीघ्र सूचित किया जाए। इस बात की पुष्टि करे कि सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का कोई मकान बनाने हेतु, अग्रिम स्कूटर अग्रिम स्कूटर अग्रिम या कोई अन्य अग्रिम बकाया शेष नहीं है। यदि है तो ब्याज सहित वसूलनीय कुल राशि उपदान राशि में से समायोजित करने के लिए पेंशन सेल को यथाशीघ्र सूचित करें। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ से कुछ भी देय नहीं है। अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र यदि कोई बकाया हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा देते हुए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात शीघ्र जारी करें ताकि रोकी गई राशी का भुगतान अविलम्ब किया जा सके।
7. कल्याण अनुभाग/प्रशासन-III/उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ यदि कोई पहचान पत्र या अन्य कोई वस्तु हो तो वापस ले ली जाए अन्यथा उस से सम्बन्धित बकाया राशि हो तो शीघ्र सूचित करें सरकारी आवास से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र मंगावाया जाए।
8. सम्पदा प्रबंधन अनुभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पंजाब, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें।
9. ई. डी. पी कक्ष, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी की कार्यालय ईमेल आई डी सेवानिवृत्त तिथि के बाद deactivate कर दी जाएगी। और कार्यालय आदेश को सम्बंधित वेबसाइट पर upload करने हेतु भेजा जा रहा है।
10. पुस्तकालय सहायक, कार्यालय आदेश मिसिल, सूचना पट।
11. व.ले.प.अ. (मुख्यालय), सभी ए.एम.जी।

अलका चौपड़ा  
24/03/24

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी,  
पेंशन व प्रशिक्षण कक्ष।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश संख्या:- पेंशन/ए/2023-24/74

दिनांक:- 06.03.24

कार्यालय आदेश

श्रीमती जसविन्दर कौर, सहायक पर्यवेक्षक, पी.यू.सी.डी.ए. 3180967, जन्म तिथि 09.03.1964, कार्यग्रहण तिथि 07.01.1999 (AN), दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

हस्ता/-

प्र. उपमहालेखाकार

(प्रशासन)

सं- पे व प्र./पेंशन लेखा परीक्षा/72-4/J-60/2023-24/722-31

दिनांक:- 06.03.24

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव।
2. प्रवर उपमहालेखाकार के गोपनीय सहायक/आर.टी.आई कक्ष।
3. वेतन व लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पंजाब, चण्डीगढ़।
4. प्रशासन-1 अनुभाग पुष्टि सहायक इवेन्ट सहायक, राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित सहायक, सामान्य कार्यों से सम्बन्धित सहायक।
5. प्रशासन-2 अनुभाग दीर्घकालीन/लघुकालीन से सम्बन्धित अग्रिम राशि का प्रमाण पत्र यथा समय प्रेषित किया जाए।
6. कार्यालय स्थापना I/II, अनुभाग व उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित यदि कोई दीर्घकालीन/लघुकालीन अग्रिम राशि व अन्य कोई बकाया हो तो उसको शीघ्र सूचित किया जाए। इस बात की पुष्टि करे कि सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का कोई मकान बनाने हेतु, अग्रिम स्कूटर अग्रिम स्कूटर अग्रिम या कोई अन्य अग्रिम बकाया शेष नहीं है। यदि है तो ब्याज सहित वसूलनीय कुल राशि उपदान राशि में से समायोजित करने के लिए पेंशन सेल को यथाशीघ्र सूचित करें। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ से कुछ भी देय नहीं है। अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र यदि कोई बकाया हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा देते हुए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात शीघ्र जारी करें ताकि रोकी गई राशी का भुगतान अविलम्ब किया जा सके।
7. कल्याण अनुभाग/प्रशासन-III/उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ यदि कोई पहचान पत्र या अन्य कोई वस्तु हो तो वापस ले ली जाए अन्यथा उस से सम्बन्धित बकाया राशि हो तो शीघ्र सूचित करें सरकारी आवास से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र मंगावाया जाए।
8. सम्पदा प्रबंधन अनुभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पंजाब, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें।
9. ई. डी. पी कक्ष, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी की कार्यालय ईमेल आई डी सेवानिवृत्त तिथि के बाद deactivate कर दी जाएगी। और कार्यालय आदेश को सम्बन्धित वेबसाइट पर upload करने हेतु भेजा जा रहा है।
10. पुस्तकालय सहायक, कार्यालय आदेश मिसिल, सूचना पट।
11. व.ले.प.अ. (मुख्यालय), सभी ए.एम.जी।

अलका चौपडा

30/01/24

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी,

पेंशन व प्रशिक्षण कक्ष।

अब

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश संख्या:- पेंशन/ए/2023-24/ 71

दिनांक:- 26.02.2024

कार्यालय आदेश

श्री बलजीत सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, पी.यू.सी.डी.ए. 5011222, जन्म तिथि 17.04.1964, कार्यग्रहण तिथि 14.02.1989 (AN), दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

हस्ता/-

प्र. उपमहालेखाकार  
(प्रशासन)

सं- पे व प्र./पेंशन लेखा परीक्षा/72-1/B-28/ 23-24/ 690-701

दिनांक:- 26.02.2024

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव।
2. प्रवर उपमहालेखाकार के गोपनीय सहायक/आर.टी.आई कक्ष।
3. वेतन व लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पंजाब, चण्डीगढ़।
4. प्रशासन-1 अनुभाग पुष्टि सहायक इवेन्ट सहायक, राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित सहायक, सामान्य कार्यों से सम्बन्धित सहायक।
5. प्रशासन-2 अनुभाग दीर्घकालीन/लघुकालीन से सम्बन्धित अग्रिम राशि का प्रमाण पत्र यथा समय प्रेषित किया जाए।
6. कार्यालय स्थापना I/II, अनुभाग व उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित यदि कोई दीर्घकालीन/लघुकालीन अग्रिम राशि व अन्य कोई बकाया हो तो उसको शीघ्र सूचित किया जाए। इस बात की पुष्टि करे कि सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का कोई मकान बनाने हेतु, अग्रिम स्कूटर अग्रिम स्कूटर अग्रिम या कोई अन्य अग्रिम बकाया शेष नहीं है। यदि है तो ब्याज सहित वसूलनीय कुल राशि उपदान राशि में से समायोजित करने के लिए पेंशन सेल को यथाशीघ्र सूचित करें। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ से कुछ भी देय नहीं है। अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र यदि कोई बकाया हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा देते हुए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात शीघ्र जारी करें ताकि रोकी गई राशी का भुगतान अविलम्ब किया जा सके।
7. कल्याण अनुभाग/प्रशासन-III/उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी की तरफ यदि कोई पहचान पत्र या अन्य कोई वस्तु हो तो वापस ले ली जाए अन्यथा उस से सम्बन्धित बकाया राशि हो तो शीघ्र सूचित करें सरकारी आवास से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र मंगावाया जाए।
8. सम्पदा प्रबंधन अनुभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पंजाब, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी से सम्बन्धित बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें।
9. ई. डी. पी कक्ष, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी की कार्यालय ईमेल आई डी सेवानिवृत्त तिथि के बाद deactivate कर दी जाएगी। और कार्यालय आदेश को सम्बन्धित वेबसाइट पर upload करने हेतु भेजा जा रहा है।
10. पुस्ताकालय सहायक, कार्यालय आदेश मिसिल, सूचना पट।
11. व.ले.प.अ. (मुख्यालय), सभी ए.एम्.जी
12. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को

अलम/चोपडा  
26/02/24  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी,  
पेंशन व प्रशिक्षण कक्ष।